हिन्दी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना, सीसीएल

1.0 **शीर्षक:**

इस योजना को **'सीसीएल हिन्दी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना'** कहा जाएगा।

2.0 **उद्देश्य:**

2.1 इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में सीसीएल में पदस्थ कार्मिकों को सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए तकनीकी, वित्त, प्रबंधन, रचनात्मक साहित्य तथा ऐसे विषयों पर जो सीसीएल के कार्य क्षेत्र से संबंधित हों, हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने लिए प्रेरित व प्रोत्साहन करना है जिससे सीसीएल में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिले।

3.0 **योजना की व्याप्ति:**

3.1 यह योजना सीसीएल मुख्यालय के सभी विभागों सहित सीसीएल के सभी क्षेत्रों में पदस्थ सभी स्तर के नियमित कार्मिकों पर लागू होगी।

4.0 **अवधि:**

4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

5.0 **पात्रता:**

5.1 सीसीएल, मुख्यालय के सभी विभागों सहित, सभी क्षेत्रों में पदस्थ सभी नियमित कार्मिक इस योजना में भाग ले सकते हैं।

5.2 योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए हिन्दी में लिखी गई उन्हीं पुस्तकों को स्वीकार किया जाएगा, जो लेखक की मौलिक रचना हो। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

5.3 संकलित, संपादित अथवा पूर्व के वर्षों में प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं होगी।

5.4 पुस्तक की विषयवस्तु वित्त/ तकनीकी/ प्रबंधन/ रचनात्मक साहित्य से संबंधित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सीसीएल के कार्य क्षेत्र से संबंधित विषय पर लिखी गई पुस्तक को भी इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सकेगा।

5.5 लेखक इस आशय का प्रमाण- पत्र दें कि यह पुस्तक उनकी मौलिक रचना है और कॉपीराइट एक्ट 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।

6.0 **मूल्यांकन मापदंड:**

6.1 वर्ष के दौरान पुरस्कार के लिए विचार करने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तक पिछले वित्त वर्ष में प्रकाशित की गई होनी चाहिए।

6.2 एक वित्त वर्ष में किसी कार्मिक की केवल एक पुस्तक पर ही पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

6.3 योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक कार्मिकों को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक की पांच प्रतियां तथा विषय वस्तु का सार निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित विवरण (अनुलग्नक-I) सहित अपने विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख के माध्यम से राजभाषा विभाग, सीसीएल, मुख्यालय को भेजनी होगी। विभागाध्यक्ष अपनी प्रविष्टियां सीधे राजभाषा विभाग को भेज सकेंगे ।

6.4 पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी गयी होनी चाहिए तथा -

6.4.1 गद्य रूप में लिखित/संकलित मौलिक पुस्तक के मामले में पृष्ठों की संख्या न्यूनतम 100 (एक सौ) तथा एक पृष्ठ में मानक रूप से शब्दों की संख्या कम से कम 250 (ढाई सौ) होनी चाहिए।

6.4.2 काव्य रूप में लिखित मौलिक पुस्तक/काव्य-संकलन के मामले में पृष्ठों की संख्या न्यूनतम 75 (पचहत्तर) तथा एक कविता में मानक रूप से शब्दों की संख्या कम से कम 50 (पचास) होनी चाहिए।

6.5 पुस्तक संपादित या संकलित नहीं होनी चाहिए। पुस्तक सीसीएल के किसी कार्मिक द्वारा अपनी पत्नी या पति के साथ मिलकर संयुक्त रूप से या दो कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से लिखी हुई हो सकती है किंतु यदि पुस्तक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर लिखी गई है जो न तो सीसीएल का कार्मिक है और न ही कार्मिक की वैध पत्नी / पति है, तो ऐसी स्थिति में उस पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जा सकेगा ।

6.6 पुस्तक एक से अधिक कार्मिकों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी होने की स्थिति में प्रोफार्मा पर सभी लेखक कार्मिकों का विवरण देना एवं उनके हस्ताक्षर होने अपेक्षित हैं।

7.0 **पुरस्कार:**

7.1 इस योजना के तहत एक वित्त वर्ष में मूल रूप से हिन्दी में लिखी मौलिक पुस्तकों के लेखकों को निम्नवत पुरस्कार दिए जाएंगे-

क्र.सं.	**पुरस्कार की श्रेणी**	**पुरस्कार की राशि**
1	प्रथम पुरस्कार	20,000/- रूपये
2	द्वितीय पुरस्कार	16,000/- रूपये
3	तृतीय पुरस्कार	10,000/- रूपये
4	सांत्वना पुरस्कार	7,000/- रूपये

इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में पुरस्कार पर कुल (20,000+16,000+10,000+ 7,000) = 53,000/- रूपये (तिरपन हजार रूपये) का व्यय होगा ।

7.2 उक्त पुरस्कार राशि का भुगतान राजभाषा विभाग, सीसीएल, मुख्यालय द्वारा किया जाएगा तथा पुरस्कार राशि चेक अथवा कार्मिक के एकाउंट में प्रदान की जाएगी ।

7.4 पुरस्कृत पुस्तक की आवश्यकतानुसार अथवा 25 प्रतियों का क्रय राजभाषा विभाग, सीसीएल, मुख्यालय द्वारा किया जाएगा तथा उन्हें संसदीय राजभाषा समिति, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया एवं सीसीएल के पुस्तकालयों में रखा जाएगा।

7.5 इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्राकशित पुस्तकें, चाहे वे पुरस्कृत हों या नहीं, उनकी उपयोगिता और गुणवत्ता को देखते हुए उनकी अपेक्षित प्रतियां खरीदने का निर्णय पृथक रूप से लिया जाएगा।

8.0 **योजना का प्रबंधन:**

8.1 इस योजना का संचालन वार्षिक आधार पर राजभाषा विभाग, सीसीएल, मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।

8.2 उक्त योजना के तहत प्राप्त पुस्तकों के संबंध में पुरस्कार का निर्णय करने के लिए निदेशक (कार्मिक) के अनुमोदन से एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 3 अधिकारी होंगे। इस समिति में राजभाषा विभाग के प्रभारी अधिकारी तथा उस विषय से संबंधित विभागों से अधिकारी शामिल होंगे। समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी होंगे तथा इसके सदस्य कम से कम वरीय प्रबंधक स्तर के होंगे। तथापि अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर मूल्यांकन समिति के गठन में परिवर्तन भी किया जा सकता है। पुरस्कार के संबंध में मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा पुरस्कार राशि का भुगतान निदेशक (का.) के अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा ।

9.0 **सामान्य:**

9.1 सीसीएल, मुख्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना कारण बताए निदेशक (का.) के अनुमोदन से इस योजना में संशोधन / असंशोधन कर सकता है या पूरी योजना को अथवा योजना के किसी अंश को समाप्त कर सकता है।

9.2 यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी ।

अनुलग्नक-I

सीसीएल हिंदी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना हेतु ब्यौरा

(1 अप्रैल ..... से 31 मार्च, ... तक)

1. आवेदक कार्मिक का नाम : ----------

2. कर्मचारी संख्या : ----------

3. पदनाम : ----------

4. विभाग का नाम व इंटरकॉम नं. : ----------

5. मातृभाषा : ----------

क्र.सं.	(वर्ष--------- के लिए)	पुस्तक का नाम तथा पुस्तक लेखन संपन्न करने की तिथि	विषय सहित पुस्तक का संक्षिप्त विवरण	लेखक/लेखकों का नाम	नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर
1.					
2.					

//घोषणा //

1. मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि संलग्न पुस्तक मेरी / हमारी मूल रचना है तथा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त रचना मेरे द्वारा एवं मेरे/ मेरी पति/पत्नी अथवा सहकर्मी द्वारा रचित है एवं मैंने / हमने किसी भी स्रोत से पूर्व प्रकाशित रचना की नकल या प्रयोग नहीं किया है। मैं/हम इस पुस्तक की विषय-वस्तु के लिए स्वयं उतरदायी हैं। मैं यह भी घोषणा करता /करती हूँ कि मैंने इससे पूर्व इस पुस्तक को किसी अन्य प्रतियोगिता / योजना में प्रस्तुत नहीं किया है।

2. मैं / हम यह भी घोषणा करता / करती हूँ/ करते हैं कि उक्त पुस्तक मेरी / हमारी मौलिक रचना है और कॉपीराइट एक्ट (यथा संशोधित), 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।

लेखन / लेखकों का हस्ताक्षर - 1. ..... 2. .....

लेखक/लेखकों का नाम 1. ..... 2. .....

स्थान : ..... दिनांक .....